कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 33/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 21.01.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 21.01.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी-

प्रेस नोट
थाना- फूलपुर
गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

01.पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 20-01-2026 को मुकदमा वादी सच्चिदानन्द थाना फूलपुर जनपद आजमगढ के द्वारा दिये गये फर्द के आधार पर थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 19/2026 धारा 3(1)2(ख)(17) गैंगेस्टर एक्ट बनाम सरगना फैजान उर्फ नाटे पुत्र मोहम्मद सा0 मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ आदि पंजीकृत किया गया जिसकी प्राम्भिक विवेचना व0उ0नि0 गंगाराम बिन्द के द्वारा की जा रही है ।

02. गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा वांछित अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन व नेतृत्व में थानाध्यक्ष फूलपुर मय हमराह द्वारा अभियुक्त हरीलाल पुत्र कुन्जु ग्राम पारा थाना अहरौला जनपद आजमगढ उम्र 55 वर्ष को सतुवहिया पुलिया से दिनाक 21-01-2026 को समय करीब 11.05 बजे कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में नियमानुसार लिया गया व अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा जिलाकारागार भेजा गया।

03. गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- 1. हरीलाल पुत्र कुन्जु ग्राम पारा थाना अहरौला जनपद आजमगढ उम्र 55 वर्ष।

04. पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 19/2026 धारा 3(1)/2(ख)(17) गैंगेस्टर एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

05. आपराधिक इतिहास-

- हरीलाल पुत्र कुन्जु ग्राम पारा थाना अहरौला जनपद आजमगढ उम्र 55 वर्ष

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद	vkjksi i=
01.	20/25	3/5ए/8 गोबध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0	कप्तानगंज	आजमगढ़	A-44 दि0 06.02.25
02.	19/2026	3(1)/2(ख)/(17) गैंगेस्टर एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़	विवेचनाधीन

06. गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द
2-का0 सुमित,
3-का0 सोनू यादव
4-महिला का0 सपना तिवारी, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति
थाना सरायमीर-जनपद आजमगढ़
दुष्कर्म कारित करने वाला 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

संक्षिप्त विवरण –
दिनांक 20.01.2026 को आवेदिका निवासी ग्राम आषाढा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र बाबत खुद के नाबालिक लड़के उम्र लगभग 05 वर्ष जो गाँव के ही फैज पुत्र शमशेर साकिन आषाढा थाना सरायमीर आजमगढ़ के साथ पड़ोसी लड़के के घर के पास खेलने गया था कि पड़ोसी नाबालिक लड़के के द्वारा मेरे लड़के को फुसलाकर अपने घर के पीछे हाते में ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म करना तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दाखिल किया कि दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 20/2026 धारा 351(3) बीएनएस व 5एम/6 पाक्सो एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़ पंजीकृत किया गया हैं। आज दिनांक 21.01.2025 को आरोपी नाबालिक किशोर को नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

पुलिस अभिरक्षा **का विवरण** –
दिनांक 21.01.2026 को प्र0नि0 निहार नन्दन कुमार मय हमराह द्वारा बाल अपचारी को ग्राम असाढ़ा से समय करीब 00.15 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। पुलिस अभिरक्षा की सूचना बाल अपचारी के परिजनों को मौके पर ही दिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही हैं। बाल अपचारी को मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है।

प्रेस नोट
थाना अतरौलिया
किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व का विवरण - दिनांक 22.12.2025 को वादी मुकदमा के द्वारा तहरीर दी गई कि पिछले कई महिनों से विपक्षी सत्येन्द्र निषाद पुत्र सन्तलाल निषाद निवासी भवनाथपुर निषाद बस्ती थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध वादी की तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 410/25 धारा 87 बीएनएस बनाम सत्येन्द्र निषाद पुत्र सन्तलाल निषाद निवासी भवनाथपुर निषाद बस्ती थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 137(2) , 64(1) बीएनएस व 3/ 4 पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गई है।
2. गिरफ्तारी का विवरण:- आज दिनांक 21.01.2026 को उ0नि0 देवी शंकर पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सत्येन्द्र निषाद पुत्र सन्तलाल निषाद निवासी भवनाथपुर निषाद बस्ती थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को **मीरपुर बाजार** के पास से **समय 09.15 बजे** पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।
3. पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 410/25 धारा 137(2),87, 64(1) बीएनएस 3/4 पाक्सो थाना अतरौलिया आजमगढ़।
4. गिरफ्तार अभियुक्त– सत्येन्द्र निषाद पुत्र सन्तलाल निषाद निवासी भवनाथपुर निषाद बस्ती थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 20 वर्ष।
5. गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –
1. उ0नि0 देवी शंकर पाण्डेय थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. का0 सुशील चौधरी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक 21.01.2026, थाना तहबरपुर, आजमगढ़
गोवध के मुकदमें में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण:- दिनांक 20.08.2025 को व0उ0नि0 श्री रवीन्द्र प्रताप यादव मय हमराह व उ0नि0 श्री लोकेशमणि त्रिपाठी मय हमराह द्वारा 11 राशि गोवंश जिसमे से 10 राशि गोवंश जिन्दा व 01 राशि गोवंश मृत व एक अदद डीसीएम रजि0नं0 UP 16BT 4267 बरामद की गयी। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 187/25 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गौ हत्या निवारण अधिनियम व 11 पशुओ के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम व धारा 325 B.N.S. दिनांक घटना 19.08.2025 समय करीब 23.10 बजे घटना स्थल नैपुरा मोड़ वहद ग्राम नैपुरा व वादी व0उ0नि0 श्री रवीन्द्र प्रताप यादव थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ बनाम दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात वफ्तीशी उ0नि0 श्री मानचन्द्र यादव थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया था।

विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण 1. चालक मो0 अशरफ पुत्र इमरान अहमद निवासी ग्राम कोठिया थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ 2. नसीम पुत्र अजीज निवासी ग्राम पीठापुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 3. रमेश प्रजापति पुत्र निन्हकू निवासी ग्राम सरैया रत्नावे थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्तगण 1. मो0 अशरफ पुत्र इमरान अहमद निवासी ग्राम कोठिया थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ 2. नसीम पुत्र अजीज निवासी ग्राम पीठापुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण किया जा चुका है। अभियुक्त रमेश प्रजापति पुत्र निन्हकू निवासी ग्राम सरैया रत्नावे थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी।

2. गिरफ्तारी का विवरण:— दिनांक 20.01.2026 को उ0नि0 श्री मानचन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रमेश प्रजापति पुत्र निन्हकू प्रजापति ग्राम सरैया रत्नावे थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष को रानीपुर अस्पताल के सामने आजमगढ़ जाने वाले हाईवे पर सड़क के किनारे से नियमानुसार मा0 सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशो व निर्देशो का पालन करते हुए समय करीब 17.15 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया।

नाम पता अभियुक्त:- रमेश प्रजापति पुत्र निन्हकू प्रजापति ग्राम सरैया रत्नावे थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 187/25 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गौ हत्या निवारण अधिनियम व 11 पशुओ के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम व धारा 325 B.N.S. थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 श्री मानचन्द्र यादव थाना तहबरपुर, आजमगढ़
2. का0 आरिध अंसारी थाना तहबरपुर, आजमगढ़
3. का0 बृजभान यादव थाना तहबरपुर, आजमगढ़
2. का0 अरविन्द कुमार थाना तहबरपुर, आजमगढ़

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 21.01.2026

थाना जहानागंज, आजमगढ़

पीड़िता की मड़ई जलाने वाले 04 अभियुक्त /अभियुक्ता को गिरफ्तार

घटना का पूर्व का विवरण- दिनांक 21/01/2026 को वादिनी मुकदमा श्री शीला चौरसिया पत्नी बाबूलाल निवासी ग्राम धरवारा थाना जहानानांगज जनपद आजमगढ़ नें थाने आकर प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 19-20.01.2026 की रात में विपक्षी गणों द्वारा आवेदिका की मण्ड़ई में आग लगा देना जिससे मण्ड़ई में रखा लकड़ी व पशु का भूसा जला दिया गया है जिसके तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 21/2026 धारा 326 (f) BNS बनाम 1. लोदई पुत्र रामसूरत यादव

2.जय हिन्द पुत्र लोदई यादव 3. लालवत्ती पत्नी रामचन्दर यादव 4. सुनील यादव पुत्र देवनन्दन यादव निवासी गण धरवारा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 शिवम त्यागी द्वारा की जा रही है।

घटना व गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 21/01/2026 उ0नि0 शिवम त्यागी मय हमराह द्वारा अभियुक्त क्रमशः- 01.लोदई पुत्र रामसुरत उम्र 52 वर्ष 02. जयहिन्द यादव पुत्र लोदई यादव उम्र 19 वर्ष 03.सुनील यादव पुत्र देवनन्दन यादव उम्र 44 वर्ष 04.लालमती पत्नी रामचन्द्र यादव उम्र 45 वर्ष निवासीगण धरवारा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को महिला आरक्षी निलम चौहान के साथ उक्त सभी को समय करीब 11.35 बजे पुलिस हिरासत लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया। उक्त पक्ष का चालान अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस माननीय न्या0 किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का स्थान:- ग्राम धरवारा विपक्षीगण का घर
पंजीकृत अभियोग— मु0अ0सं0 21/26 धारा 326(F) बीएनएस थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
1.लोदई पुत्र रामसुरत उम्र 52 वर्ष
2. जयहिन्द यादव पुत्र लोदई यादव उम्र 19 वर्ष
3.सुनील यादव पुत्र देवनन्दन यादव उम्र 44 वर्ष
4.लालमती पत्नी रामचन्द्र यादव उम्र 45 वर्ष निवासीगण धरवारा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- 1.उ0नि0 शिवम त्यागी 2.म0आ0 निलम चौहान थाना जहानागंज आजमगढ़

प्रेस- नोट
थाना- (कोतवाली)
PCR पर आये अभियुक्त के निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त 01 पिस्टल व कारतूस बरामद।

1- पूर्व की घटना/इतिहास – वादी वंसराज चौहान पुत्र गोवर्धन चौहान ग्राम सरदारगंज थाना मेहनगर जिला आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि मेरा पोता मोनूसिंह चौहान पुत्र हरिश्चन्द्र चौहान उम्र करीब 22 वर्ष जो डीएवी कालेज मे बीकाम का छात्र है और राहुल नगर मडया लोटस हास्पिटल के पास सोनू पाण्डेय के मकान मे किराये पर कमरा लेकर रहता है। दि. 9.10.25 समय करीब 04.00 बजे शाम को सूचना मिली कि वादी के पोते मोनू सिंह चौहान को गोली लग गयी है वादी भाग कर अपने रिश्तेदार रमाशंकर चौहान पुत्र अन्तू चौहान सा0 चकखैरुल्लाह थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ के साथ मोनू के कमरे पर जाकर पता किया तो ज्ञात हुआ की उसी मकान मे रहने वाले अजीत शुक्ला पुत्र राजेश्वर शुक्ला सा0 गढवल थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर के कमरे पर असलहा लेकर उनके रिश्तेदार अंकित उपाध्याय पुत्र रमेश उपाध्याय निवास मुखलीसपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ आये थे दोनो लोग असलहा लोड करके देख व दिखा रहे थे की अजीत शुक्ला ने मोनू चौहान को लक्ष्य करके असलहे का खटका दबा दिया जिससे गोली चल गयी और मोनू सिंह चौहान के जबडे पर गोल गयी मोनू सिंह चौहान वही मौके पर गिरकर छटपटाने लगा मुल्जिमान मौके से फरार हो गये गम्भीर रूप से घायल मोनू सिंह चौहान का ईलाज बेदांता हास्पिटल लक्षीरामपुर मे चल रहा है। उक्त के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0 अ0 स0 512/2025 धारा 3(5)/ 109(1) बीएनएस- दि. 9.10.25 को दर्ज है।

02. गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण– मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अजीत शुक्ला पुत्र राजेश्वर शुक्ला निवासी गढ़वल थाना राजे सुल्तानपुर जिला अम्बेडकरनगर का उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी द्वारा पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड प्राप्त कर नियमानुसार उपरोक्त अभियुक्त की निशानदेही पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित घटना मे प्रयुक्त एक अदद पिस्टल 32 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03. अभियुक्त का विवरणः- अभियुक्त अजीत शुक्ला पुत्र राजेश्वर शुक्ला निवासी गढ़वल थाना राजे सुल्तानपुर जिला अम्बेडकरनगर

05. पंजीकृत अभियोग – मु0 अ0 स0 512/2025 धारा 3(5)/ 109(1) बीएनएस व 3 /25 /27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़

06. गिरफ्तारी करने वाली टीम – उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी चौकी प्रभारी रोडवेज, उ0नि0 अभिषेक कुशवाहा, कां0 अभय कुमार थाना कोतवाली आजमगढ़।

प्रेस नोट

थाना – मेहनाजपुर

जनपद – आजमगढ़

शादी समारोह स्थल से आभूषण,कपड़े व ₹5000/- नगद चोरी करने वाले 03 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण (पूर्व की घटना):

दिनांक **21.01.2026** को आवेदक **बलजीत यादव पुत्र अनेक सिंह यादव**, निवासी ग्राम करेला, पोस्ट कैथल, थाना चंदौसी, जनपद संभल (उ0प्र0) द्वारा थाना मेहनाजपुर पर लिखित तहरीर दी गई कि वह अपने विवाह हेतु लड़की देखने के लिए अपने जीजा **विजय पाल यादव पुत्र रामफल सिंह यादव**, निवासी ग्राम नाधौंस, थाना बेहजोई, जनपद संभल के माध्यम से प्रयास कर रहा था।

इसी क्रम में विजय पाल यादव द्वारा अपनी जान-पहचान के **भूदेव कुशवाहा पुत्र रामप्रकाश**, निवासी ग्राम हरितपुर खुसाल, थाना बेहजोई, जनपद संभल से संपर्क किया गया। भूदेव कुशवाहा द्वारा अपने परिचित **हर्ष यादव पुत्र झारखंडे यादव**, निवासी ग्राम मटियरा, थाना बलुआ, जनपद चंदौली से लड़की के संबंध में जानकारी ली गई। हर्ष यादव द्वारा अपने पड़ोसी **विजय कुमार पुत्र बहादुर राम**, निवासी ग्राम मटियरा, थाना बलुआ, जनपद चंदौली से संपर्क किया गया, जिन्होंने **अनन्या कुमारी पुत्री रामराज**, निवासी ग्राम छित्तूपुर, थाना लंका, जनपद वाराणसी (उम्र लगभग 19 वर्ष) का फोटो उपलब्ध कराया।

फोटो पसंद आने पर गरीब लड़की होने का हवाला देते हुए खर्च के नाम पर **₹1,00,000/-** देने तथा **मां पल्हमेश्वरी देवी मंदिर, पल्हना** में शादी करने की बात तय हुई। दिनांक **19.01.2026** को वादी अपने भाई **किशन पाल यादव** एवं जीजा **विजय पाल यादव** के साथ आजमगढ़ आया तथा पल्हना में रुका। उसी दिन मंदिर में विवाह संपन्न हुआ।

रात्रि विश्राम की व्यवस्था न होने के कारण दोनों पक्ष ठहरने की व्यवस्था तलाशते हुए **थाना मेहनाजपुर क्षेत्रान्तर्गत चकेरा परिसिनिया स्थित भोले बाबा मंदिर** पहुंचे, जहाँ एक बड़े कमरे में दोनों पक्ष रात्रि में रुके। बातचीत के दौरान लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम होने की जानकारी मिलने पर विवाद हुआ, जिसके बाद बातचीत बंद हो गई।

सुबह जब वादी पक्ष जागा तो पाया कि **लड़की पक्ष के लोग फरार** हो चुके थे तथा उनका एक बैग, जिसमें **02 नई साड़ियाँ, कपड़े, 01 जोड़ी पायल, 02 जोड़ी बिछिया, चूड़ियाँ एवं ₹5000/- नगद** था, चोरी कर ले गए।

इस संबंध में थाना मेहनाजपुर पर **मु0अ0सं0 005/2026**, धारा **305(1)/318(4) बीएनएस**, बाद में बढ़ोत्तरी धारा **317(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया। विवेचना **उ0नि0 बेचू प्रसाद यादव** द्वारा की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण:

दिनांक **21.01.2026** को उ0नि0 बेचू प्रसाद यादव मय पुलिस टीम एवं म0हे0का0 अंजना राज के साथ मुखबिर सूचना पर **जियापुर स्थित पानी टंकी के सामने रमेश सिंह के बंद होटल** से एक साथ दबिश देकर तीनों वांछित अभियुक्तों/अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार व्यक्तियों ने अपने नाम निम्नलिखित बताए—

1. **हर्ष यादव पुत्र झारखंडे यादव**, निवासी ग्राम मटियरा, थाना बलुआ, जनपद चंदौली (उम्र लगभग 17 वर्ष)
2. **विजय कुमार पुत्र बहादुर राम**, निवासी ग्राम मटियरा, थाना बलुआ, जनपद चंदौली (उम्र लगभग 24 वर्ष)
3. **चंदा देवी पत्नी जितेंद्र**, निवासी ग्राम मटियरा, थाना बलुआ, जनपद चंदौली (उम्र लगभग 30 वर्ष)

गिरफ्तारी का समय लगभग **12:20 बजे**। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध का तरीका (संक्षेप में):

पूछताछ व विवेचना में प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण द्वारा पूर्व नियोजित रूप से गरीब परिवार की लड़की का परिचय देकर मध्यस्थों के माध्यम से वादी से संपर्क किया जाता था तथा फोटो भेजकर विवाह तय कराया जाता था। विवाह के नाम पर खर्च हेतु नकद धनराशि प्राप्त कर मंदिर में शादी कराई जाती थी। रात्रि विश्राम के दौरान जानबूझकर विवाद उत्पन्न कर बातचीत बंद कर दी जाती थी।

रात्रि अथवा सुबह तड़के अभियुक्तगण वादी पक्ष के कपड़े, आभूषण व नकदी से भरा बैग चोरी कर मौके से फरार हो जाते थे। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा विवाह को माध्यम बनाकर धोखाधड़ी व चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता था।

पंजीकृत अभियोग:

मु0अ0सं0 **005/2026**, धारा **305(1)/318(4) बीएनएस**, बढ़ोत्तरी धारा **317(2) बीएनएस**, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:

- नीले रंग का चैनयुक्त बैग
- 02 नई साड़ियाँ
- 01 अदद कपड़ा
- 01 जोड़ी पायल (सफेद धातु)
- 02 जोड़ी बिछिया (सफेद धातु)
- ₹500/- के 10 नोट, कुल **₹5000/-**

अपराधिक इतिहास:

मु0अ0सं0 **005/2026** उपरोक्त धाराएँ, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम:

1. उ0नि0 बेचू प्रसाद यादव
2. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार
3. उ0नि0 दीपक कुमार
4. हे0का0 बाबूलाल राजभर
5. हे0का0 सत्यप्रकाश यादव
6. का0 घनश्याम यादव
7. का0 अभिषेक मौर्य
8. म0हे0का0 अंजना राज

(थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़)